

(29)

(11)

वरिय प्रभारी पदाधिकारी
शाखा...

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

सनाहरणालय: मनेपुरा
(सामान्य)
काम: 40/10
सकल संख्या: 1-3/15
प्र-त संख्या: 1287
दिनांक: 04/09/15

संकल्प



उर्दू परामर्शदातृ समिति का पुनर्गठन।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प सं०-143 दिनांक-18.05.2012 द्वारा उर्दू परामर्शदातृ समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति का कार्यकाल खत्म होने के आलोक में राज्य सरकार ने राज्य की द्वितीय राजभाषा उर्दू की प्रगति के संबंध में परामर्श देने के उद्देश्य से निम्न प्रकार से उर्दू परामर्शदातृ समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया है :-

- (1) सैयद शफीउज्जमां मशहदी (ऊर्फ शफी मशहदी) — अध्यक्ष
बि०प्र०से० (सेवानिवृत्त)
पूर्व सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग,
बी० एन० कॉलेज के निकट,
- (2) डॉ० मुश्ताक अहमद, — उपाध्यक्ष
प्राचार्य, माड़वाड़ी कॉलेज, दरभंगा।
- (3) श्री रेहान गनी, — सदस्य
पत्रकार।
- (4) मेजर बलबीर सिंह भसीन, — सदस्य
उपाध्यक्ष, उर्दू काउंसिल।
- (5) डॉ० सैय्यद अहमद कादरी, — सदस्य
गया।
- (6) अफज़ल हुसैन, — सदस्य
महासचिव, बिहार राबिता कमीटी।
- (7) श्री असद रिज़वी, — सदस्य
मुजफ्फरपुर।
- (8) शाह हिलाल अहमद कादरी, — सदस्य
खानकाह मुजीबिया, फुलवारीशरीफ।
- (9) डॉ० शंकर कैमूरी, — सदस्य
प्रोग्राम एक्जेक्यूटिव (उर्दू), पटना।
- (10) प्रोफेसर कमर जहां (सेवानिवृत्त), — सदस्य
भागलपुर।

749
2/9/15

11
2-9-15

RF-050791899-JN

- (11) डॉ० अब्दुल हन्नान **सुबहानी**
पूर्व अध्यक्ष, उर्दू विभाग, एम०एस०टी० कॉलेज,
सहरसा। - सदस्य
- (12) प्रो० एम०जे० वारसी,
दरभंगा। - सदस्य
- (13) प्रो० तौकीर आलम,
प्रतिकुलपति, मौलाना मजहरूल हक अरबी और
फारसी विश्वविद्यालय, पटना। - सदस्य

पदेन सदस्य

- (14) निदेशक, नेशनल काँसिल फॉर प्रमोशन
ऑफ उर्दू लैंग्वेज, भारत सरकार, नई दिल्ली। - सदस्य
- (15) निदेशक, उर्दू निदेशालय (बिहार सरकार) - सदस्य सचिव
- (16) सचिव, बिहार उर्दू अकादमी। - सदस्य
- (17) निदेशक (पदेन), अरबिक एंड परशियन रिसर्च
इंस्टीट्यूट, पटना। - सदस्य

2. इस समिति का कार्यकाल इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष के लिए होगा। भविष्य में राज्य सरकार समिति का कार्यकाल घटा या बढ़ा सकेगी।
3. अध्यक्ष, उर्दू परामर्शदातृ समिति को राज्यमंत्री की सुविधाएँ अनुमान्य होंगी।
4. समिति के उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को दी जानेवाली सुविधाओं के संबंध में वित्त विभाग का परामर्श लेकर अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।
5. समिति का मुख्यालय, उर्दू निदेशालय, पटना में होगा।

आदेश :- यह आदेश दिया जाता है कि जनसाधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जाय।

राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या-उ०नि०-02/2015...../रा०, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्यों एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(शिशिर सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या-उ०नि०-02/2015..... ५१४ /रा०, पटना, दिनांक- 10-8-15

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिशिर मिश्र)
सरकार के प्रधान सचिव।

समाह्वयन, नखेपुरा

सापिक 1033/रा०, नखेपुरा क्रिक-10/09/2015

प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, नखेपुरा एवं उहाकिथुनगीर/यनी एवं ~~नखेपुरा~~ पदाधिकारी एवं/अध्यक्ष अधिकारी, नखेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, नखेपुरा को सूचनार्थ। अनुसंधान है कि इन पर का यनी पदाधिकारी को इंगेज करने इन पर को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08-09-15
प्रधान पदाधिकारी
समाह्वयन, नखेपुरा
4/9/15

जिना के प्रति
जिना के प्रति

(2)

जिना के प्रति
जिना के प्रति
51.60.80

जिना के प्रति
जिना के प्रति
जिना के प्रति

जिना के प्रति
जिना के प्रति
जिना के प्रति
जिना के प्रति
जिना के प्रति

जिना के प्रति
जिना के प्रति

जिना के प्रति

जिना के प्रति
जिना के प्रति